भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1084

जिसका उत्तर 05.02.2026 को दिया जाना

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के पूरा होने की स्थिति

1084. श्री नीरज मौर्य:

श्री लालजी वर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से अब तक निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं की गई राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य संबंधित परियोजनाओं में गंभीर विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के विलंब के परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में कोई वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा वर्ष 2015 से अब तक विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष-वार कितनी ऋण राशि ली गई है; तथा

(ङ) अम्बेडकर नगर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिलों से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है और उक्त राजमार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) समापन/ समय पूर्व बंद करने के लिए विचाराधीन परियोजनाओं को छोड़कर, 1 अप्रैल 2014 से शुरू की गई सभी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं में से, 653 वैसी निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं जो परियोजना पूर्णता के विभिन्न चरणों में से किसी को भी प्राप्त किए बिना, अपनी मूल पूर्णता समय सीमा को पार कर गई हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) एनएच परियोजनाओं में देरी के प्राथमिक कारण में भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी/ अनुमतियाँ, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाने, कानून और व्यवस्था, रियायतग्राही/ संविदाकार की वित्तीय तंगी, संविदाकार/ रियायतग्राही का खराब निष्पादन, और कोविड-19 महामारी, भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन/ हिमस्खलन आदि जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से संबंधित मुद्दे/ बाधाएं शामिल हैं।

(ग) सभी विलंबित परियोजनाओं में लागत वृद्धि नहीं होती है। यदि देरी संविदाकार के कारण नहीं होती है, तो मूल्य वृद्धि का भुगतान संविदा की शर्तों के अनुसार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, जो परियोजना के वास्तविक पूरा होने और बिलों के अंतिम निपटान पर निर्धारित मूल्य वृद्धि के अंतिम मूल्य पर निर्भर करता है। यदि देरी संविदाकार के कारण होती है, तो हर्जाना लगाया जाता है और देरी के कारण कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती है।

(घ) 2015-16 से बाद के वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा संग्रहित किए गए आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) का वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ङ) उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर और अंबेडकर नगर जिलों से गुजरने वाली 9 एनएच परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन सभी परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से वित्त वर्ष 2027-28 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

अनुलग्नक I

"राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के पूरा होने की स्थिति" के संबंध में श्री नीरज मौर्य और श्री लालजी वर्मा द्वारा पूछे गए दिनांक 05.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1084 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

समापन/ समय पूर्व बंद करने के लिए विचाराधीन परियोजनाओं को छोड़कर, 1 अप्रैल 2014 से शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं में से ऐसी निर्माणाधीन परियोजनाएं जो परियोजना पूर्णता के विभिन्न चरणों में से किसी को भी प्राप्त किए बिना, अपनी मूल पूर्णता समय सीमा को पार कर गई हैं, का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	37
2	अरुणाचल प्रदेश	8
3	असम	24
4	बिहार	34
5	छत्तीसगढ़	14
6	गोवा	7
7	गुजरात	18
8	हरियाणा	11
9	हिमाचल प्रदेश	14
10	झारखंड	20
11	कर्नाटक	46
12	केरल	14
13	मध्य प्रदेश	28
14	महाराष्ट्र	68
15	मणिपुर	23
16	मेघालय	4
17	मिजोरम	4
18	नागालैंड	12
19	ओडिशा	29
20	पंजाब	20
21	राजस्थान	17

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या
22	सिक्किम	9
23	तमिलनाडु	23
24	तेलंगाना	27
25	त्रिपुरा	5
26	उत्तर प्रदेश	50
27	उत्तराखंड	30
28	पश्चिम बंगाल	15
29	संघ राज्य क्षेत्र	42
	कुल	653

अनुलग्नक II

"राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के पूरा होने की स्थिति" के संबंध में श्री नीरज मौर्य और श्री लालजी वर्मा द्वारा पूछे गए दिनांक 05.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1084 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

2015-16 से से बाद के वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा संग्रहित किए गए आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) का वर्ष-वार विवरण

वर्ष	आईईबीआर **(करोड़ रू. में)**
2015-16	**23,281**
2016-17	**33,118**
2017-18	**50,533**
2018-19	**61,217**
2019-20	**74,988**
2020-21	**65,036**
2021-22	**65,150**
2022-23	**798**
2023-24	**0**
2024-25	**0**
2025-26 (दिसंबर, 2025 तक)	**0**

नोट: वित्त वर्ष 2023-24 से आईईबीआर बंद कर दिया गया है।
